

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

शुक्रवार, 28 फरवरी, 2020/9 फाल्गुन, 1941(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे । |
| (ii) दिन के लिए | | |

(2) अतारांकित:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे । |
| (ii) दिन के लिए | | |

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) डॉ० राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री, बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (2) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री, कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड मेनेजमेंट एण्ड प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा) का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा:

दिनांक 27 फरवरी, 2020 को श्री बलबीर सिंह सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा श्री राकेश जम्वाल, सदस्य द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा:-

“इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का, दिनांक 25 फरवरी, 2020 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।”

शिमला-171004
दिनांक: 27 फरवरी, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(अष्टम सत्र)

शुक्रवार, 28 फरवरी, 2020/ 9 फाल्गुन, 1941 (शक) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या

शुद्धियां

कुल तारांकित प्रश्न 48

*2350

दिनांक 05 मार्च, 2020 को स्थानांतरित किया गया।

*2372

मुख्य मंत्री को **वन मंत्री** पढ़ा जाए।

शिमला

दिनांक: 27.02.2020

यशपाल शर्मा,

सचिव